आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर० एम० वाद सं०–99/2017–18

अभिलेख उपस्थापित :– अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक–130 दिनांक–16/04/2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम प्रयाग महतो वल्द भानु महतो है।
2. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम माही महतो पिता–प्रयाग महतो है, तथा रैयत के पास 1.45 एकड़ भूमि है।
3. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2014–15 तक वसूली गयी है।
4. खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
5. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टांड़–III किस्म की है।
6. प्रस्तावित जमीन विक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास 0.37 डी० भूमि शेष रह जाएगा।
7. क्रेता एवं विक्रेता दोनो पिछड़ी जाति के सदस्य है।
8. क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।
9. विक्रेता द्वारा समर्पित शपथ पत्र (कार्यापालक दण्डाधिकारी/लेख्य प्रमाणक/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डु) के न्यायालय का है, जिसका शपथ पत्र संख्या–2921, दिनांक–17/08/2017 है, जो कि नॉटरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित निर्गत है।
10. राजस्व कर्मचारी के अनुशंसा अनुसार आवेदक द्वारा संलग्न शपथ पत्र (कार्यपालक दण्डाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी बुण्डु) पत्र सं०–2921, दिनांक–17/08/17 के अनुसार खेसरा सं०–577 दर्ज है, जबकी आवेदन में खेसरा सं०–677 अंकित है। आपसी बंटवारा नामा में आवेदक का हिस्सा 0.45 डी० दिखाया गया है, जबकी शपथ पत्र में 0.56 डी० दिखाया गया है। विक्री अनुमति क पश्चात आवेदक के पास कुल 0.37 डी० जमीन ही बचता है, जो जीविकापर्जन हेतु निर्देशित सीमा से कम है। अतः विक्री अनुमति की अनुशंसा नही किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू के पत्रांक–130 दिनांक–16/04/19 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विक्री हेतु अनुमति वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना स०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
दलकोडीह	बुण्डू/27	50	677	08 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

28/05/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)

28/05/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू (राँची)